[2025:आरजे-जेपी:4045-डीबी]

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20693/2023

1. भारत संघ, जरिये महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर ।
2. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, 2010, नेहरू मार्ग, अंबेडकर सर्किल के पास, अजमेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सुरेंद्र कुमार पुत्र कैलाश चंद, निवासी मोहल्ला देवस्थान नियर पप्पू पानवाला, नारनौल, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा-123- 001

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) की ओर से	:	श्री आशीष कुमार
उत्तरदाता (ओं) की ओर से	:	श्री पीयूष पाणि माथुर

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमती. जस्टिस शुभा मेहता

आदेश

29/01/2025

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):

1. यह याचिका प्रतिवादी द्वारा दायर मूल आवेदन (ओ.ए.) को स्वीकार करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर द्वारा पारित दिनांक 28.04.2023 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. प्रासंगिक तथ्य यह है कि प्रतिवादी ने 06.03.2010 की अधिसूचना के अनुसरण में डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस) ग्रेड- III के पद के लिए आवेदन किया था। प्रतिवादी ने वर्ष 2012 में आयोजित लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और 11.02.2013 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित हुआ। कुल तीन रिक्तियां थीं, दो सामान्य श्रेणी के लिए और एक अनुसूचित जाति के लिए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में, अधिनियम) के माध्यम से किए गए प्रश्नों पर, यह पता चला कि प्रतिवादी को प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 1 पर रखा गया था। इसके अलावा दो रिक्तियों के लिए केवल एक उम्मीदवार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित हुआ, फिर भी प्रतिवादी को नियुक्ति नहीं दी गई। रेलवे भर्ती बोर्ड, अजमेर (संक्षेप में 'आरआरबी') ने अपने संचार दिनांक 28.02.2014 और 27.03.2014 में इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रतीक्षा सूची में प्रतिवादी का नाम क्रम संख्या 1 पर था, तथापि उसका नाम रेलवे को प्रेषित नहीं किया गया। सामान्य श्रेणी की एक रिक्ति को भरने का कोई कारण नहीं बताया गया, जबकि दोनों पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था और उम्मीदवार उपलब्ध थे। पश्चिम मध्य रेलवे (संक्षेप में, 'डब्ल्यूसीआर') द्वारा रिक्त रिक्ति के लिए आरआरबी से प्रतिवादी का नाम न मांगने का कोई कारण नहीं बताया गया। न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता की कार्रवाई को मनमाना माना और प्रतिवादी को डीएमएस ग्रेड-III या

समकक्ष पद पर नियुक्ति देने के निर्देश जारी किए। अतः, प्रस्तुत याचिका दायर की गई है।

3. इस याचिका के लंबित रहने के दौरान दिनांक 08.11.2024 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था जिसमें यह बताया गया हो कि सामान्य श्रेणी में कितने नाम भेजे गए थे और क्या मेरिट सूची में क्रम संख्या 2 पर मौजूद उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हुआ था या नहीं।

4. रेलवे भर्ती बोर्ड, अजमेर के सदस्य सचिव, श्री नेमी चंद सिवासिया का हलफनामा दाखिल किया गया है। अतिरिक्त हलफनामे के पैरा 4 और 5 को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा:-

> "यह कि याचिकाकर्ता, श्री सुरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री कैलाश चंद (रोल नं.12105911002501) ने डिपो सामग्री अधीक्षक ग्रेड- III की श्रेणी संख्या 91 पद के लिए आवेदन किया था। इस पद के लिए लिखित परीक्षा 22.04.2012 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर, 03 उम्मीदवारों को पत्र संख्या आरआरबी/एजे/आरईसीटीटी/5/10/91 दिनांक 27.12.2012 के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अनंतिम रूप से चुना गया था। इसके अतिरिक्त, 02 उम्मीदवारों (श्री सुरेन्द्र कुमार सहित) को वास्तविक रिक्तियों की संख्या से परे प्रतीक्षा सूची में अनंतिम आधार पर बुलाया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, 03

अनंतिम रूप से बुलाए गए उम्मीदवारों में से 01 उम्मीदवार अर्थात नीतू सिंह अनुपस्थित रहीं, जबकि दोनों अतिरिक्त रूप से बुलाए गए उम्मीदवार उपस्थित थे। दस्तावेज़ सत्यापन उपस्थिति पत्रक दिनांक 11.02.2013 इसके साथ संलग्न है और **अनुलग्नक ए ए 1** के रूप में चिह्नित है।

"लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर, कुल 02 उम्मीदवारों (अनारक्षित-01 और अनुसूचित जाति-01) का 22.02.2013 को पैनल में चयन किया गया और पैनल को इस कार्यालय के पत्र संख्या आरआरबी/एजे/आरईसीटीटी /5/10/91/2010 दिनांक 25.02.2013 द्वारा महाप्रबंधक (कार्मिक)/पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (प्रतिवादी संख्या 01) को भेज दिया गया। दिनांक 25.02.2013 के पत्र की एक प्रति संलग्न है और इसे **अनुलग्नक ए ए 2** के रूप में चिह्नित किया गया है।"

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतीक्षा सूची की अवधि एक वर्ष है और प्रतिवादी एक वर्ष के भीतर ओ.ए. दाखिल करने में विफल रहा। उठाई गई शिकायत यह है कि न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी को भविष्य की रिक्तियों पर नियुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 06.03.2010 की अधिसूचना के अनुसरण में रिक्त छोड़ी गई सामान्य श्रेणी की एक रिक्ति, 22.02.2013 को पुनः विज्ञापित की गई थी।

6. प्रतिपक्ष के अनुसार, आरआरबी और डब्ल्यूसीआर की मनमानी कार्रवाई ने प्रतिवादी को मुकदमेबाजी के लिए मजबूर किया। तर्क यह है कि सफल उम्मीदवार

उपलब्ध होने के बावजूद दूसरे पद को न भरने का कोई औचित्य नहीं दिया गया है।

7. निर्विवाद तथ्य यह है कि (i) प्रतिवादी ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, वह मेरिट सूची में क्रम संख्या 3 पर था और उसे प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 1 पर रखा गया; (ii) क्रम संख्या 1 और 2 में से एक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुआ; (iii) प्रतिवादी को दूसरी रिक्ति पर नियुक्त किया जाना था, फिर भी उसका नाम अग्रेषित नहीं किया गया और उस पर विचार नहीं किया गया और अंत में (iv) प्रतीक्षा सूची के एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले, सामान्य श्रेणी की रिक्ति को 22.02.2013 को पुनः विज्ञापित किया गया।

8. यह तर्क कि प्रतिवादी ने एक वर्ष के भीतर ओ.ए. दायर नहीं किया था, अर्थात जब तक प्रतीक्षा सूची पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, औचित्यहीन है । प्रतिवादी आरआरबी और डब्ल्यूसीआर के साथ पत्राचार कर रहा था। अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से पता चला है कि प्रतिवादी को रिक्त पद के बावजूद नियुक्त नहीं किया गया था और वह प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 1 पर था। याचिकाकर्ता का आचरण उठाई गई आपत्ति का खंडन करता है। प्रतिवादी के अनुसार, प्रतीक्षा सूची एक वर्ष की अवधि के लिए सक्रिय थी, लेकिन प्रतिवादी को नियुक्ति देने के बजाय, जो क्रमांक 1 पर था और एक वर्ष की समाप्ति से पहले, रिक्त पद को विज्ञापित किया गया था। न तो ट्रिब्यूनल के समक्ष और न ही इस अदालत के समक्ष

प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 1 पर योग्य और सफल उम्मीदवार होने के बावजूद पद को खाली रखने के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। किया गया प्रयास डब्ल्यूसीआर और आरआरबी के बीच जिम्मेदारी को टालने का है। ट्रिब्यूनल ने सही माना कि सफल उम्मीदवार के पक्ष में नियुक्ति का कोई निहित अधिकार उत्पन्न नहीं होता, किन्तु याचिकाकर्ता की मनमानी एवं कारणरहित कार्रवाई के आधार पर उसे नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

9. न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिवादी को डीएमएस ग्रेड-III या समकक्ष पद पर नियुक्ति देने का निर्देश जारी करना न्यायोचित है।

10. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायाधिकरण के निर्देशों को पढ़ा जाएगा कि प्रतिवादी को डीएमएस, ग्रेड-III या समकक्ष पद पर नियुक्ति दी जाएगी।

11. रिट याचिका निरस्त की जाती है।

(शुभा मेहता),जे (अवनीश झिंगन),जे

मोनिका/लक्ष्य/47

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate